रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2006/माघ 17, 1927
No. 46] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2006/MAGHA 17, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 52(अ).— कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है, और इसके द्वारा यह सूचना देती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से अंतर्विष्ट भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, 45 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारुप नियमों की बाबत कोई सुझाव या आक्षेप, उक्त अवधि के अवसान से पूर्व, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए संयुक्त सचिव(पौध संरक्षण)कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग)कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकते हैं ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन)नियम 2006 है ।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)में, नियम 2 के खंड (क) से (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) अभिप्रेत है;

(ख) "वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण प्रचालन" से कीटनाशक को लगाया जाना या उसका विक्षेपण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत घरों या सार्वजनिक या निजि परिसरों या किसी भूमि पर धूमक भी है और जिसमें नाशकजीव नियंत्रण प्रचालन सम्मिलित है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वातीय रूप से लगाया जाना सम्मिलित है किंतु जिसमें उनका निजी उपयोग सम्मिलित नहीं है ;

(ग) " व्यौहारी" से कीटनाशियों के विक्रय का कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है चाहे थोक या फुटकर कारबार हो और जिसके अंतर्गत किसी व्यौहारी का कोई अभिकर्ता सम्मिलित है ;

(घ) "अवसान की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जो नाशक के आधान, लेबल या रैपर पर अवसान की तारीख स्तंभ के सामने उल्लिखित है ;

(ङ) "प्ररुप" से पहले अनुसूची में उपवर्णित कोई प्ररुप अभिप्रेत है ;

(च) "प्रयोगशाला" से केन्द्रीय प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(छ) "विनिर्माणकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो कीटनाशियों का विनिर्माण करता है और जिसमें कीटनाशियों का कोई विनिर्माता सम्मिलित है ;

(ज) "नाशकजीव" से कोई कीट, कृंतक, जीवकवक, खरपतवार और पौधे का कोई अन्य प्ररूप या प्राणी अभिप्रेत है जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है ;

(झ) " कीटनाशी नियंत्रण प्रचालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कीटनाशी नियंत्रण प्रचालन करता है और जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या कंपनी या संगठन सम्मिलित है जिसके नियंत्रणाधीन ऐसा कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है ;

(ञ) "प्राथमिक पैकेज" से कीटनाशियों वाला तुरंती पैकेज अभिप्रेत है ;

(ट) "प्रधान" से यथास्थिति कीटनाशी का आयातकर्ता या विनिर्माणकर्ता अभिप्रेत है ;

(ठ) "रजिस्ट्रीकरण" में अंनतिम रजिस्ट्रीकरण सम्मिलित है ;

(ड) "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी नगर निगम या नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति या किसी छावनी की सीमाओं के बाहर आता है ;

(ण) "द्वितीय पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जो न तो प्राथमिक पैकेज है और न ही परिवहन पैकेज ;

(त) " धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(थ) "परीक्षण सुविधा" से ऐसी प्रचालन संबंधी यूनिट अभिप्रेत है जहां प्रयोगात्मक अध्ययन चल रहा है या उत्पाद क्वालिटी पर आंकड़े प्रस्तुत करने के संबंध में चलाया जा रहा है या कीटनाशी की सुरक्षा या प्रभावकारिता या अवशिष्ट या भंडारण के स्थायित्व पर चल रहा है या चलाया जा रहा है ;

(द) "परिवहन पैकेज" से कीटनाशी के परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे बाहरी पैकेज अभिप्रेत है ;

3. उक्त नियम के नियम 10ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10घ विनिर्माणकर्ता और व्यौहारी का कीटनाशियों के स्टाक और मूल्य सूची को प्रदर्शित करना - प्रत्येक विनिर्माणकर्ता और व्यौहारी जो किसी कीटनाशी का फुटकर विक्रयकर्ता है या फुटकर विक्रय की प्रस्थापना करता है, मुख्य रूप से अपने कारबार के स्थान पर निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा, --

(क) दैनिक आधार पर उसके द्वारा आधारित विभिन्न कीटनाशियों के स्टाक की मात्रा ; और

(ख) कारबार के ऐसे स्थान में तत्समय उपलबध ऐसे कीटनाशियों के मूल्य या दर की एक सूची। "

4. उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :-

" 15. कैश या प्रत्यय मैमो जारी करना और रजिस्टर, लेखा बहियां और अभिलेख बनाए रखना -

(1) कीटनाशियों के सभी विक्रय किसी विधि के अधीन विहित प्ररूप में किसी बिल या कैश मैमो या प्रत्यय मैमो के द्वारा किया जाएगा ।

(2) किसी अनुज्ञप्त विनिर्माता (विनिर्माता या पैकर) स्टाकिस्ट, वितरक व्यौहारी, फुटकर, क्रेता या किसी प्रपुंज उपभोक्ता को किए गए कीटनाशियों के सभी विक्रय कीटनाशीवार प्ररूप 13 में किसी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे और वास्तविक उपभोक्ताओं के सभी विक्रयों की राज्यवार मासिक विवरणी अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप 14 में सुसंगत मास के अंतिम 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी ।

(3) कीटनाशी का प्रत्येक आयातकर्ता या विनिर्माणकर्ता, तकनीकी श्रेणी के कीटनाशियों के लिए प्ररूप 15 में एक स्टाक रजिस्टर और प्ररूप 16 में विनिर्मित कीटनाशियों का स्टाक रजिस्टर रखेगा ।